किशोरी लाल

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

19 जून 2007

[डॉ अरिजीत पसायत और डी.के. जैन, जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 306 और 107-पत्नी द्वारा आत्महत्या-आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए पति की दोषसिद्धि- दोषसिद्धि विरुद्ध चुनौती: पाया गया- आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का कोई सबूत नहीं है-साक्ष्य दर्शित करते हैं कि मृतक बच्चा पैदा न कर पाने के कारण विफलता से परेशान थी-अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा- दोषसिद्धि को रद्द किया गया।

शब्दों और वाक्यांशों:

'उकसाना' और 'उत्तेजित करना - का अर्थ – पर विवेचना की गई।

मृतक ने आत्महत्या की थी। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता पति को आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि वह किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था; अपीलकर्ता द्वारा की गई कथित यातना, जैसा कि मृतक की मां ने बताया है, घटना से लगभग 4-5 साल पहले की कथित घटना से संबंधित थी और पोस्टमार्टम में हिंसा का कोई निशान नहीं पाया गया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

1. आईपीसी की धारा 107 किसी चीज के लिए उकसाने को परिभाषित करती है। एक व्यक्ति, किसी कार्य को करने के लिए तब उकसाता है जब (1) वह किसी व्यक्ति को उस चीज़ को करने के लिए भड़काता है: या (2) उस चीज़ को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल होता है; या (3) जानबूझकर उस कार्य को करने में कार्य या अवैध चूक द्वारा सहायता करता है। दुष्प्रेरण को अपराध मानने के लिए ये आवश्यक तत्व हैं। "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना, प्रवृत्त करना, आग्रह करना या अनुनय-विनय करना। "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना, प्रवृत्त करना, आग्रह करना या अनुनय-विनय करना। धारा 107 के तीन खंडों में वर्णित प्रावधान अनुसार, किसी व्यक्ति को उकसाना, उसे उत्तेजित करने से, साजिश से या जानबूझकर सहायता करने से किया जा सकता है। धारा 109 में प्रावधान है कि यदि उकसाया गया कार्य उकसावे के परिणामस्वरूप किया गया है और ऐसे उकसावे के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, तो अपराधी को मूल अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाना है। धारा 109 में 'दुष्प्रेरित' का अर्थ है दुष्प्रेरित विशिष्ट अपराध। इसलिए, जिस अपराध के लिए उकसाने का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वह आम तौर पर सिद्ध अपराध से जुड़ा होता है [पैरा 6] [1053-जी, 1054-ए, बी, सी]

2. कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि पति ने मृत पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, पर्याप्त नहीं है। केवल उत्पीड़न के आरोप पर आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा उचित नहीं है। रिकॉर्ड पर इस बात के पर्याप्त

सबूत हैं कि मृतक परेशान थी क्योंकि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। गवाह पीडब्लू. 8, 10 और 11 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका उक्त तथ्य और बच्चा पैदा न कर पाने के कारण निराश थी और इस कारण वह परेशान थी। यदि उक्त परिपेक्ष्य में तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। [पैरा सं.7 तथा 8] [1054-सी, डी, ई]

महिंदर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1995) एआईआर एससीडब्ल्यू 4570, पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1115/1999।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आपराधिक अपील संख्या 172/1984 में पारित अंतिम आदेश और निर्णय दिनांक 06.05.1988 के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से शंकर दिवाते (न्याय मित्र)।

प्रत्यर्थी की ओर से मेरुसागर समंतारारी, वैराग्य वर्धन और सी.डी सिंह।

न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता की ओर से भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 306 के तहत उसके विरुद्ध पारित दोषसिद्धि तथा पांच साल का कठोर कारावास भुगतने के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील खारिज किये जाने बाबत पारित अपील आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. प्रकरण की पृष्ठभूमि दर्शित करते संक्षेप तथ्य निम्न हैं:

अपीलकर्ता का विवाह राजकुमारी (जिसे आगे 'मृतक' के रूप में संबोधित किया गया है) से हुआ था जिसने दिनांक 31.8.1982 को आत्महत्या कर ली। आरोपी की

सूचना के आधार पर प्रकरण में अनुसन्धान प्रारंभ किया गया और आरोपी को दिनांक 31.8.1982 को कथित तौर पर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दिनांक 31.8.1982 की शाम को आरोपी मृतक को घर में छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो कमरा अन्दर से बंद था और आरोपी द्वारा दरवाजा खोलने के लिए आवाज़ लगाने पर मृतक ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोपी को कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई तो उसने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसके साथ गई और मोहल्ले के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो पाया कि मृतक ने छत से लटककर आत्महत्या कर ली है। अनुसन्धान पूरा होने के बाद प्रकरण में आरोप पत्र पेश किया गया और आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया।

3. मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू 8, 10 और 11 की साक्ष्य पर विश्वास कर विचारण न्यायालय ने माना कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए मृतक को उकसाया था। तदनुसार दोषसिद्धि दर्ज की गई और सजा सुनाई गई। निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील से अपीलकर्ता को कोई राहत नहीं मिली।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गवाह पीडब्लू.8, 10, और 11 जो मृतक के भाई और माँ हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लंबे समय तक साथ रहने के बाद मृतक और आरोपी के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और इसलिए, वह माता-पिता के घर में रहने लगी। फिर ससुर और देवर के समझाने पर घटना दिनांक से करीब एक माह पहले वह आरोपी के घर आ गयी। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था जिससे पता चले कि आरोपी किसी भी तरह से आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था। मृतक की मां ने आरोपी द्वारा की गई तथाकथित कथित यातना जो बताई थी वह घटना से लगभग 4-5 साल पहले से संबंधित थी।

पोस्टमार्टम में भी हिंसा का कोई निशान सामने नहीं आया। वास्तव में, तथाकथित निशान कई दिन पुराने बताए गए थे और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे चोटें आरोपियों द्वारा पहुंचाई गई थीं।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 113 ए के तहत उपलब्ध उपधारणा को लागू किया जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब यह कथित घटना घटी तब विवाह को दस वर्ष से अधिक हो चुके थे।

6. आईपीसी की धारा 107 किसी चीज के लिए उकसाने को परिभाषित करती है। उकसाने का अपराध एक अलग और विशिष्ट अपराध है जो अधिनियम में अपराध के रूप में प्रदान किया गया है। एक व्यक्ति किसी चीज़ को करने के लिए तब उकसाता है जब (1) वह किसी व्यक्ति को उस चीज़ को करने के लिए भड़काता है: या (2) उस चीज़ को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल होता है; या (3) जानबूझकर उस कार्य को करने में कार्य या अवैध चूक द्वारा सहायता करता है। दुष्प्रेरण को अपराध मानने के लिए ये आवश्यक तत्व हैं। "उकसाना" शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना, प्रवृत्त करना, आग्रह करना या अनुनय-विनय करना। धारा 107 के तीन खंडों में वर्णित प्रावधान अनुसार, किसी व्यक्ति को उकसाना, उसे उत्तेजित करने से, साजिश से या जानबूझकर सहायता करने से किया जा सकता है। धारा 109 में प्रावधान है कि यदि उकसाया गया कार्य उकसावे के परिणामस्वरूप किया गया है और ऐसे उकसावे के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, तो अपराधी को मूल अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाना है। धारा 109 में 'दुष्प्रेरित' का अर्थ है दुष्प्रेरित विशिष्ट अपराध।

इसलिए, जिस अपराध के लिए उकसाने का आरोप किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, वह आम तौर पर सिद्ध अपराध से जुड़ा होता है।

7. कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। केवल यह तथ्य कि पति ने मृत पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, पर्याप्त नहीं है। [महिंदर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1995) एआईआर एससीडब्ल्यू 4570 देखें]। केवल उत्पीड़न के आरोप पर आईपीसी की धारा 306 के तहत सजा उचित नहीं है। रिकॉर्ड पर इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मृतक परेशान थी क्योंकि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। गवाह पीडब्लू. 8, 10 और 11 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतिका उक्त तथ्य और बच्चा पैदा न कर पाने के कारण निराश थी और इस कारण वह परेशान थी।

8. यदि उक्त परिपेक्ष्य में तथ्यों का विश्लेषण किया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। ऐसा होने पर, हम अपील स्वीकार किए जाने योग्य होने का निर्देश देते हैं।

9. दिनांक 6.1.1999 को जमानत के लिए निष्पादित अभियुक्त के जमानत तथा बंध पत्र उन्मोचित माने जायेंगे। हम विद्वान न्याय मित्र श्री शंकर दिवाते द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वैभव सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।